

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक़दारी) हरियाणा, चंडीगढ़ ।

पूर्णतः आश्रित माता-पिता/नाबालिग भाई-बहनों के सम्बन्ध में छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करने हेतु वर्ष _____ के लिए घोषणा ।

1.	कर्मचारी का नाम, पदनाम तथा उसका वास्तविक आवासीय पता	
2.	क्या विवाहित हैं या अविवाहित? यदि विवाहित हैं तो स्थान का नाम जहाँ परिवार रह रहा है ।	
3.	क्या सरकारी कर्मचारी का वास्तविक आवास उसका गृहनगर है जोकि सेवा में आने के समय घोषित किया था? यदि नहीं, तो गृहनगर का पूरा पता दर्शाया जाए ।	
4.	पूर्णतः आश्रित माता-पिता, नाबालिग भाई-बहनों जिनके लिए छुट्टी यात्रा रियायत का दावा किया जाएगा, के साथ सम्बन्ध, आयु तथा वास्तविक आवास स्थान दर्शाया जाए ।	
5.	यदि सरकारी कर्मचारी के अन्य भाई-बहनों हो जो उस पर आश्रित नहीं हैं तो अन्य भाई-बहनों उपरोक्त संख्या-4 में दर्शाए गए व्यक्तियों वहन क्यों नहीं करते? कारण बताया जाये ।	
6.	क्या सरकारी कर्मचारी के माता-पिता, भाई, बहनों लाभप्रद रोजगार में हैं तथा नौकरी से आवर्ती आय है? जैसे कि परिवर्तन से पूर्व पेंशन तथा पेंशन-भोगियों को समय-समय पर दी जाने वाली राहत मकान, कृषि योग्य जायदाद, आय के अन्य साधन इत्यादि	
7.	क्या विधवा माता/नाबालिग भाई-बहनों कि कोई कुटुम्ब पेंशन मिलती है अथवा सरकारी कर्मचारी के मृतक पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति से ब्याज मिलता है? प्रत्येक सदस्य का हिस्सा दर्शाये ।	

अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं _____ एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण दिनांक _____ को मेरी पूरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्णतया सत्य तथा सही हैं तथा उपरोक्त घोषणा में कोई भी परिवर्तन होने पर, मेरे द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी) हरियाणा, चंडीगढ़ को तुरंत सूचित किया जाएगा ।

स्थान : चंडीगढ़

दिनांक:

अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

पदनाम :

अनुभाग :

मोबाईल न.: